



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1941 (श0)
(सं0 पटना 887) पटना, बुधवार, 31 जुलाई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 जुलाई 2019

अधिसूचना संख्या 13/2019-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 350, दिनांक 31 जुलाई 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)

(‘कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है, या

स्पष्टीकरण— इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, “विद्युत चालित वाहन” का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आता है, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किये गये एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 13)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 जुलाई 2019

एस० ओ०. 350, दिनांक 31 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 13)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 31st July 2019

Notification No. 13/2019- State Tax (Rate)

S.O. 350, Dated 31st July 2019— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 22, in the entries in column (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

(3)
‘(aa) to a local authority, an Electrically operated vehicle meant to carry more than twelve passengers; or
<i>Explanation:—</i> For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicle” means vehicle falling under Chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which is run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicle’.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of August, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 13)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 887-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>